फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री भरतसिंह राव - वकील अपीलार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-3 **अनवान** **1. श्री रामलाल पिता श्री माधुलाल जाट, निवासी रेणकाखेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्रीमती सुन्दर पत्नि श्री शंकरलाल जाट, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्री रतनलाल पिता श्री लेहरू जाट, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. भुमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 17.12.2021 (अनवान रामलाल बनाम सुन्दरबाई व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.09.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 17.12.2021 (अनवान रामलाल बनाम सुन्दरबाई व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की अपीलार्थी श्री रामलाल जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 व 8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 30(2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय मय पंजीकृत वसीयत तहसीलदार, कपासन समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 1619, 1620, 1621, 1726, 2114, 2116, 2123, 2127 कुल किता 8 रकबा 5.67 हैक्टेयर का 1/3 हिस्सा व आराजी नम्बर 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1700, 1701, 1703 किता 9 रकबा 7.18 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा, आराजी नम्बर 2111 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म आ.चा. में 1/2 हिस्सा पर उसका मृतका चांदीबाई के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। मृतका चांदीबाई पत्नि लेहरू जाट द्वारा दिनांक 25.11.2016 को एक वसीयत उसके (रामलाल जाट) के पक्ष में निष्पादित की है। जिससे चांदीबाई के बजाय उसके नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु नामान्तरकरण खोला जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

- तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.12.2021 से श्रीमती चांदीबाई द्वारा की गई वसीयत की सम्पत्ति पैतृक होने से, वसीयत का षडयंत्र पूर्वक निष्पादन होने से श्रीमती चांदीबाई के विधिक वारिसान के नाम श्री रतनलाल व सुन्दरबाई के नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

उक्त निर्णय दिनांक 17.12.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 05.09.2024 को अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांग प्रकरण को वर्ष 2021 में सुनवाई हेतु दर्ज किया। अपीलान्ट ने मृतक चांदी बाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया तथा वसीयत में अंकित दोनों साक्षीगणों की बयान अभिलिखित किए गए, जिसमें उनके द्वारा वसीयत की ताईद की गई। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर धारा-135 एलआर एक्ट के प्रावधानों से परे जाकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या-2 ने भी अपने बयान में उक्त वसीयत की जानकारी के कथन किये है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सुन्दरबाई के बयान भी अभिलिखित किये। इस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतका चांदीबाई के नाम रेणकाखेड़ा की जमीन नामान्तरकरण संख्या 558 दिांक 20.08.2018 को खुल गया तथा वर्तमान में अपीलार्थी काश्तकार है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने कथनों में कहा कि मृतका चांदीबाई अंधी थी लेकिन डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वसीयत उसके जीवनकाल में निष्पादित कराई और उसका पार्ट हिस्सा रामलाल के दर्ज हो गया, शेष दर्ज आराजीयात का निष्पादन नहीं होने से पुनः आवेदन किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मुताबिक गवाह के बयानों को तोड़ मरोड़कर निर्णय में विवेचन कर आवेदन खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रजिस्टर्ड वसीयत जो कि एक राजकीय पंजीयन अधिकारी के सामने दो गवाहों के समक्ष निष्पादित कर पंजीयन किया है, उसकों ही फर्जी मानते हुए निरस्त होने की घोषणा का निर्णय कर दिया है, जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनन अधिकार नहीं है। वसीयत फर्जी या सही है, इसकी घोषणा मात्र सिविल न्यायालय ही कर सकता है, जिसका अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2021 को अपास्त फरमाया जाकर रजिस्टर्ड वसीयत अनुसार अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रत्यर्थी-1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथनों के खण्डन में प्रस्तुत किया कि मृतक चांदीबाई द्वारा की गई कथित वसीयत की कृषि भूमि स्वअर्जित न होकर मौरूसी लेहरू से विरासत से मिली है। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी-1 व 2 का कब्जा है। उक्त प्रकरण में मूल पुरूष लेहरू होकर, उसके दो पुत्र श्री शंकरलाल व रतनलाल, दो पत्नियां कमलाबाई व चांदीबाई होकर फौत हो चुके है। पुत्र शंकरलाल भी फौत होकर उसकी पत्नि सुन्दरबाई जीवित है। ऐसे लेहरू के विधिक वारिसान केवल श्री रतनलाल व सुन्दरबाई ही शेष है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमती चांदीबाई के अंधा होने का लाभ उठाकर घोखें से वसीयत निष्पादित की दी गई जो पूर्णतया षडयंत्रपूर्वक कराई गई। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा धारा-135(2) के तहत सम्यक जांच की कार्यवाही कराई, सभी संबंधित गवाहान एवं पक्षकारान के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रामलाल द्वारा अफीम के पट्टे के लिए अपने पिता का नाम बदल दिया, माधवलाल की जगह लेहरूलाल अंकित कराया, अपने हिस्से को चांदीबाई के नाम कराना एवं पुनः वसीयत की आड लेकर पुनः खातेदारी प्राप्त करना, वसीयत की सत्यता पर प्रश्न उत्पन्न करता है। गवाहों द्वारा भी वसीयत का सत्यापन नहीं किया गया। गवाहों द्वारा विरोधी बयान करते हुए गोदपुत्र होने का अंकन भी किया, जबकि अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर दाद चाही गई। वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित भूमि नहीं है, इसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। इस आशय का विनिश्चय भी अपीलाधीन आदेश में किया गया है। जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016(2) पेज 1099, आरबीजे 2015(22) पेज 412, आरआरटी 2017(2) पेज 1279 पेश किये। **प्रत्यर्थी-3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री रामलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) भू-राजस्व अधिनियम अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का अनुरोध किया। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.12.2021 से वसीयत षडयंत्रपूर्वक निष्पादित किये जाने से, वसीयत की सम्पत्ति पैतृक होने से व संबंधित के बयान दर्ज कर वारिस की जांच कर विधिक वारिसान प्रत्यर्थी-1 व 2 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक 17.12.2021 से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2020 अनुसार प्रकरण में विवादित आराजीयात के संबंध में मूल पुरूष श्री लेहरू की दो पत्नियां श्रीमती कमला एवं चांदी बाई थी। कमला के दो पुत्र श्री रतनलाल व शंकरलाल हुए। शंकरलाल की पत्नि श्रीमती सुन्दरबाई होकर श्री शंकरलाल लाऔलाद फौत हुआ। मृतक श्री लेहरू की दोनों पत्नियां फौत हो चुकी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 श्री रतनलाल एवं सुन्दरबाई ही श्री लेहरू व चांदी बाई के विधिक वारिसान होकर जीवित है और विवादित आराजीयात उनके कब्जेशुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.10.2020 में वसीयत की गई भूमि को विरासत से मिला अर्थात मौरूसी होना बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक चांदी बाई व मूल पुरूष लेहरू को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है। पत्रावली में उपलब्ध पंजीकृत वसीयत दिनांक 25.11.2016 की छाया प्रति का अवलोकन किया है। उक्त वसीयत द्वारा श्रीमती चांदीबाई द्वारा श्री रतनलाल व श्रीमती सुन्दरबाई, जो कि विधिक वारिसान है, को अपनी विरासत से वंचित करते हुये वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी को वसीयत किया जाना अंकित किया है। विभिन्न प्रकरणों में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा बार बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी वसीयत से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी वसीयत प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई मानी जाती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1925 की धारा 63 अनुसार सदभावी व संदेह से परे (genuine and free from suspicion) सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का है। 1994 RRD 732 में प्रतिपादित किया गया है कि कानूनी उत्तराधिकारियों के विरूद्ध ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता, जो कि अभी सिद्ध होनी है। इसी प्रकार 1975 PLJ 201 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत द्वारा प्राकृतिक वारिसान को वंचित करना वसीयत को सदेंह के घेरे में रखता है और ऐसी वसीयत को संदेह से परे साबित करने का भार वसीयत के लाभार्थी पर है। AIR 1990 SC 1742 में पिता ने वसीयत द्वारा अपनी एक पुत्री को वंचित कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दूसरी पुत्री को सम्पत्ति प्रदत्त कर दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि वंचित की गयी पुत्री की सुखमय शादीसुदा जिन्दगी उसे सम्पत्ति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है, जब तक कि दूसरी पुत्री की आर्थिक विपन्नता साबित नहीं हो। ऐसी वसीयत को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।

इस न्यायालय का मत है कि वसीयत का पंजीकृत होना मात्र उसकी सदभाविकता व सन्देह से परे (genuineness and free from suspicion) होने का प्रमाण नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 अनुसार भी वसीयत को पंजीकृत होने के बावजूद स्वतः प्रमाणित नहीं माना गया है। न्यायिक दृष्टान्त AIR 1962 SC 567 में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि पंजीकृत होना मात्र वसीयत की सदभाविकता के विभिन्न आधारों मे से एक हो सकता है किन्तु एकमात्र का आधार नहीं हो सकता है।

"If a Will has been registered, that is a circumstance which may, having regard to the circumstances, prove its genuineness. But the mere fact that a Will is registered will not by itself be sufficient to dispel all suspicion regarding it where suspicion exists, without submitting the evidence of registration to a close examination."

न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) CC Cases 804 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत का पंजीकृत होना "…… itself does not mean that the statutory requirements of proving the Will need not be complied with."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि पंजीयन होना वसीयत दस्तावेज के अस्तित्व को साबित कर सकता है, उसकी सदभाविकता को नहीं। जब तक उक्त वसीयत की सदभाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। इसके लिये वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकार घोषणा करानी होगी।

प्रावधित है कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी-78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्षेत्राधिकार से बाहर है।

जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती चांदीबाई के विधिक वारिसान प्रत्यर्थी–1 व 2 द्वारा कथित वसीयत पर अपना ऐतराज प्रस्तुत किया था, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। अपीलार्थी को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक चांदीबाई को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के तहत विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उक्त वसीयत के षडयंत्रपूर्वक निष्पादित होने के संबंध में विस्तृत विवेचन किया है। प्रमुख तथ्य यह भी उजागर हुआ है कि श्रीमती चांदीबाई अंधी थी, ऐसे में किसी भी दस्तावेज को पंजीकृत करवाने हेतु सिविल कोर्ट के द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त होना चाहिए जिससे प्रतिनिधि उक्त अंधे व्यक्ति को पंजीकृत होने वाले दस्तावेज के बारे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 03/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/03) **श्री रामलाल जाट बनाम श्रीमती सुन्दरबाई जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में पढ़कर सुनाए और हस्ताक्षर हेतु प्रेरित करे। यह सभी कार्यवाही किये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गवाहान द्वारा भी वसीयत का सत्यापन नहीं किया जाना पाया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त-कोटा द्वारा अपील संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 की प्रति पेश की जिसमें भी चांदीबाई के नाम जारी अफीम का लाईसेंस उसके विधिक वारिसान श्री रतनलाल एवं श्रीमती सुन्दरबाई के नाम जारी करने का आदेश प्रदान किया गया और श्री रामलाल द्वारा धोखाधड़ी से लेहरू व चांदीबाई के नाम का लाईसेंस अपने कराने के आदेशों का निरस्त किया। उपरोक्त तथ्य भी यह प्रमाणित करते है कि वसीयत पूर्णतया संदेहजनक है, जब तक उक्त वसीयत की सदभाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उससे वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन का निर्णय दिनांक 17.12.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, कपासन को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	